

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल

क/बोर्ड/योजना/गै.त./82-पार्ट/2019-20/265  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/8/2020

संयुक्त संचालक/उप संचालक,

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

आंचलिक कार्यालय- भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा.(म0प्र0)

विषय :- मण्डी समिति में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के चिकित्सा परीक्षण के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भ :- मण्डी बोर्ड मुख्यालय का आदेश क्रमांक/341-342 दिनांक 24.06.2019, स्मरण पत्र क्रमांक 464-465 दिनांक 24.07.2019, पत्र क्रमांक 516-517 दिनांक 03.09.2019, पत्र क्रमांक 723 दिनांक 30.11.2019, पत्र क्रमांक 08 दिनांक 13.01.2020 एवं स्मरण पत्र क्रमांक-203 दिनांक 20.07.2019

0000

विषयांतर्गत संदर्भित आदेश एवं पत्रों द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटी जिनकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो गई हो उनका मण्डी प्रांगण में शिविर आयोजित किया जाकर वर्ष में 02 बार चिकित्सा परीक्षण कराया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण में स्वास्थ्य परीक्षण 15 जुलाई 2019 के पूर्व कराया जाकर आयोजित शिविर की रिपोर्ट छायाचित्र सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का लेख किया गया था, बार-बार स्मरण कराये जाने के उपरांत भी पूर्ण जानकारी आज तक अप्राप्त है।

अतः इसी प्रकार जनवरी 2020 एवं जुलाई 2020 की वर्तमान स्थिति की जानकारी अधीनस्थ मण्डी समितियों से प्राप्त की जाकर एकजाई जानकारी मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपसंचालक(योजना)

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल